मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 1997 (आषाढ़ 25, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगेः-

(1) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 1 सन् 1997)

(2) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 2 सन् 1997)

(3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 3 सन् 1997)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-3-96-एक-10 दिनांक 9 मई, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-11-95-तेईस-यो-दो दिनांक 4 मार्च, 1997 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1993-94 (अनुभाग-1) तथा वर्ष 1994-95 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (संचालक स्थानीय निधि लेखा द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियाँ स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणी) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-21-97-विक-पांच (14) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2 दिनांक 19 जून, 1997 पटल पर रखेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

5. फरवरी-मार्च, 1997 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 1997 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के जावद वन परिक्षेत्र अन्तर्गत भेड़ों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के अमरकंटक थर्मल पावर संयंत्र में प्रदूषण मापक यंत्र न होने से फैल रहे प्रदूषण की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के वार्ड क्र. 40 विजय नगर में पुलिस चौकी कायम किये जाने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बंगला बड़खेरा के बंगला मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,

(3) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -
(क) भरतला जलाशय की मरम्मत कराने, तथा
(ख) ग्राम लाल तलैया से मदादेवरी-टूड़ा मार्ग का निर्माण कराये जाने

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) ग्राम कुरथर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम सेमरा में नहर पर पुल बनाये जाने,

(5) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) चम्बल आयाकट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराये जाने,
(ख) श्योपुर नगर में बायपास रोड़ बनाये जाने,
(ग) श्योपुर तहसील के अन्तर्गत आनेवाले राज्य मार्ग को पूर्ण कराये जाने
(घ) प्रेमसर-दांतरदा मार्ग लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित किये जाने,
(ड.) श्योपुर नगर में आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
(च) श्योपुर नगर में एल.एल.बी. की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने, तथा
(छ) कराहल करियादेह मार्ग से राजस्थान की सीमा तक डामरीकृत मार्ग बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

11. प्राक्कलन समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे :-
"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 1997-98 की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति में हुये रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

12. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों"

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बी. आर. यादव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 20 सन् 1997) का पुरःस्थापन करेंगे.

14. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 4 मार्च 1997 को राज्यमंत्री खनिज-साधन से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 4412) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री राम लखन सिंह, (त्योंथर), सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 15 जुलाई, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा